


न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
 अपील सं० 158/2016 अन्तर्गत धारा-76 एल.आर एक्ट
 अनवान नूर मोहम्मद पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान निवासी सर्वोदय बस्ती बीकानेर
 बनाम सुरजाराम पुत्र मुकनाराम कुम्हार वगैरह (32)

हुक्म दिनांक	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नं० व तारीख जो तामील में जारी हुए
16.1.2018	<p>आज यह पत्रावली अपीलान्त श्री नूर मोहम्मद जरिये श्री सीताराम अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.1.2018 पर पेशी में ली गयी । अपीलान्त श्री नूर मोहम्मद पुत्र बाबूखां द्वारा जरिये अभिभाषक निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपीलान्त व रेस्पोंडेंटान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है । दोनों पक्षों में राजीनामा हो जाने से अपीलान्त इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है । अतः अपील अपीलान्त इसी स्तर पर जरिये विद्वा खारिज किये जाने आदेश प्रदान करें ।</p> <p>हमने अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16-01-18 एवं अपील का अवलोकन किया । यह द्वितीय अपील न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा प्रथम अपील एल.आर एक्ट सं० 62/2014 अनवान मु० परमेश्वरी वगैरह बनाम सुरजाराम वगैरह स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 28-9-15 के विरुद्ध प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है । अपीलान्त इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विद्वा करना चाहते हैं । अतः यह अपील अपीलान्त जरिये विद्वावल (Withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्नक शामिल अपील किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p>	<p>92-93 22/1/18</p> <p> सम्भागीय आयुक्त बीकानेर</p>